

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 मार्च 2020—फाल्गुन 15, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक-एफ-5-9-दस-3-2001.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 मई, 2001 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-9-दस-3-2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से नीचे यथा उल्लिखित वनोपज के परिवहन के लिये अभिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए वसूली किये जाने हेतु निम्नलिखित शुल्क विहित करता है:—

अ. क्र.	वनोपज का नाम	देय शुल्क
1.	लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज (अयस्क), कॉपर (अयस्क), रॉक फास्फेट, पायरोफिलार्डिट, डायास्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन (अयस्क), केलसाईट, कोयला, क्वार्ट्स, सिलिका सेंड, शेल, स्लेट, सोप स्टोन.	रुपये 57 /— प्रति टन
2.	फ्लेग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर	रुपये 33 /— प्रति घन मीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2020

क्रमांक-एफ-5-9-दस-3-2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-9-दस-3-2001, दिनांक 5 मार्च, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 5th March, 2020

No. F-5-9-X-3-2001.—In exercise of the powers conferred by rules 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 and in supersession of this department's Notification No. F-5-9-X-3-2001, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 28th May, 2001, the State Government, hereby, prescribes the following fee to be recovered for issue of Teansit Pass for the transportation of the forest produce with immediate effect as mentioned below:—

S.no.	Name of Forest Produce	Fee Payable
1.	Limestone, Dolomite, Fire clay, Manganese (ore), Copper (ore), Rock phosphate, Phyrophyllite, Diaspore, Ochre, Bauxite, Iron (ore), Calcite, Coal, Quartz, Silica sand, Shale, Slate, Soap stone.	Rs. 57 / - per ton
2.	Flag Stone, Granite, Marble and Gravel Stone .	Rs. 33 / - per cubic meter

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.